

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 304/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,
एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- श्रीमति पूजा प्रजापति पत्नी स्व. श्री नीतेश प्रजापति (विधिक वारिस स्व. श्री नीतेश प्रजापति),
पता :- यूनिट नं. एफ-1, प्रथम मंजिल, प्लॉट नं. 53, स्कीम गणेश विहार, देवरी, गोपालपुरा बाईपास
रोड, जयपुर
एवं द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि., पांचवी मंजिल, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।
एवं बी-473, बी ब्लॉक, एसबीबीजे बैंक के पीछे, महेश नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपरोक्त श्री के के सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 04.07.2023

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु
दिनांक 02.09.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री नीतेश प्रजापति जरिये विधिक
वारिसान एवं श्रीमती पूजा प्रजापति के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नं. एफ-1, प्रथम मंजिल, प्लॉट
नं. 53, स्कीम गणेश विहार, देवरी, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट को
बन्धक रख कर कुल राशि 21,20,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी
ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा
13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये।
नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय
संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक
सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध
किया है।
- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से
सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 21,20,000/- रुपये
का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक
के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित


५५७
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

होने से निवृत्तानुसार खण्ड वसूली के लिए बकाया खण्ड राशि एवं ब्याज कुल राशि 21,43,462/- रुपये जमा करवाने हेतु अपाधीगल को दिनांक 22.10.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अपाधीगल द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अपाधीगल द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया खण्ड राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राची वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक प्राप्य पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राची वित्तीय संस्था के पक्ष में अपाधी रज. श्री नीतेश प्रजापति जरिये विधिक वारिसान एवं श्रीमती पूजा प्रजापति के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति यूनिट नं. एफ-1, प्रथम मजिल, प्लॉट नं. 53, स्क्रीम गणेश विहार, देवरी, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्राची वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



6. आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर

होने से निराश्रयता, ऋण बण्टी के लिए बकाया ऋण शांति गत ब्याज कुल शांति 21.43.462/- रुपये वापस कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.10.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण शांति का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में चण्डी मोरग बकाया शांति एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक शांति बकाया होने से अधिनियम के प्राधान्यों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था को पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्राधान्य है। प्रांथी वित्तीय संस्था के प्रतिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्राधान्य पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राधान्य पत्र स्वीकार कर प्रांथी वित्तीय संस्था को पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री नीतेश प्रजापति जरिसे लिंक कारिसान एवं श्रीमती पूजा प्रजापति के स्वाभित्त की बंधक सम्पत्ति युनिट नं. एक-1, प्रथम मंजिल, प्लॉट नं. 53, स्कीम गणेश विहार, देवरी, गोपालपुर बार्डपास रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रांथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिसे सम्बन्धित पुलिस धाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रांथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित धानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।

दिनांक 04.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

2-02

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर

